वन विभाग, हरियाणा सरकार, कार्यालय वन मंडल अधिकारी, कुरूक्षेत्र वन परिसर, पिपली, कुरूक्षेत्र, फोन नं0 / फैक्स-01744-230743

E-mail-dfo.kkr-hry@nic.in

कमांकः 5132

दिनांक 27/02/2020

सेवा में: Gati Bodh Jauhal, Chief Divisional, Retail Sale Manage, IOCL, Panipat

विषय: Diversion of 0.0572 ha. of forest land for access to the Retail Outlet of IOCL at Km.189.703 (RHS) village Mohri on Delhi-Panipat-Ambala road NH-1 (New NH-44) Near MS 86 (LHS), Tehsil Shahbad under Forest Division & District Kurukshetra.

संदर्भः नोडल ऑफिसर् (एफ०सी०) कार्यालयः प्रधान ुख्य वन संरक्षक, हरियाणा, पंचकूला के कार्यालय का पत्र क0 प्रशा-डी-तीन-9245 / 4361 दि0 26.2.2019

उपरोक्त संदर्भाकित पत्र द्वारा आपके केस में सैधान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है। अतः आपको सी०ए०. स्कीम अनुसार जमा करवाने वाली राशि का विवरण (डिमाड नोट) निम्नलिखित प्रोफार्मा में भरकर भेजते हुये लिखा जाता है कि प्रस्ताव से सम्बन्धित राशि 210209/-रू0 को भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय की website http://forestelearance.nic.in or htt://efclearance.nic.in पर ऑन लाईन के माध्यम से जमा करवायें ताकि आगामी कार्यावाही अमल में लाई जा सके।

इसके अतिरिक्त फोरेस्ट राईट एक्ट, 2006 का सर्टिफिकेट अपलोड करके इस कार्यालय को सूचित

करें।		Amount in Rs.
Sr. No.	Particular	110898
1	Compensatory Afforestation	26267
2	Additional CA	0
3	Penal Compensatry Afforestation	0
4	Catchment Area Treatment	0
5	Safety Zone	0
6	Additional Charges for protected area	50736
7	Net Present Value (NPV)	16308
0	Felling charges	0
8	Charges (Barbed Wire)	0
9	Soil Moisture Conservation (SMC) work	210209
Total		1

वन मंडेल अधिकारी कुरूक्षेत्र।

पु0 कमांकः

एक प्रति निम्नलिखित को उक्त केस की रिवाईजड सी०ए० स्कीम की प्रति सहित सूचनार्थ एवं

नोडल ऑफिसर (एफ0सी0), कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा, पंचकूला को उनके आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है:-

कार्यालय के पत्र क0 प्रशां-डी-तीन-9245 / 4361 दि0 26.2.2019 के संदर्भ में।

वन संरक्षक उत्तरी परिमंडल, अम्बाला को इस कार्यालय के पत्र क0 4297 दि० 30.12.2019 के संदर्भ

2. वन मंडेल अधिकारी कुरूक्षेत्र।

D:\FCA\Misc FCA.doc

55 55 No. 4701 /MAI

Dated: 26/02/2020

COMPLIANCE OF THE SCHEDULED TRIBES AND OTHER TRADITIONAL FOREST DWELLERS (RECOGNITION OF FOREST RIGHT) ACT, 2006.

(CERTIFICATE TO BE GIVEN BY THE CONCERNED DEPUTY COLLECTOR)

TITLE OF THE CASE/PROJECT: Diversion of 0.0572 ha. of Forest land for access to the Retail Outlet of IOCL at Km 189.703 (RHS) Village Mohri on Delhi-Panipat-Ambala Road NH-1 (New NH-44) Near MS 86 (LHS), Tehsil Shahabad under Forest Division & Distr. Kurukshetra. District/ Forest Division falls within jurisdiction of Kurukshetra.

It is certified that the forest land proposed to be diverted is plantation which was notified as "forest" less than 75 years prior to the 13th day of December, 2005 and is located in villages having no recorded population of Scheduled Tribes, as per the Census-2001 and the Census-2011.

Divisional Farest Delicer Kurkkenetkerleten Division, Kurukshetra. Collector Kurukshetra
(Full name and official seal
Of the District Collector)

प्रेषक

कलैक्टर, कुरूक्षेत्र ।

सेवा में

वन मण्डल अधिकारी, कार्यालय वन मण्डल अधिकारी, वन परिसर, पिपली(कुरूक्षेत्र) ।

कंमाक 4694 /एम.ए.1 दिनांक 96/2/2020

विषय:-

Diversion of 0.0572 ha. Forest land for access to the Retail Outlet of IOCL at Km189.703(RHS) Village Mohri on Delhi-Panipat-Ambala Road NH-1(New NH-44) Near MS 86(LHS)Tehsil Shahabad under Forest Divison & Distt. Kurukshetra.

उपरोक्त विषय पर आपके कार्यालय के पत्र कमाक 4374 दिनांक 03.01.2020 के यादी सन्दर्भ में प्राप्त प्रमाण पत्र की प्रति कलैक्टर, कुरूक्षेत्र से प्रतिहस्ताक्षर उपरान्त आपकों आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है । सलंग्नः मूल प्रमाण पत्र ।

कृते: कलैक्टर, कुरूक्षेत्र ।